सं- 1986/प.सं.नि.-2-2021

मा0 कैबिनेट मंत्री जी, पशुधन, दुग्ध एवं मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में दिनांक--29.09.2021 को समय अपरान्ह 12.00 बजे योजना भवन में जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः--

उपस्थितिः

4452/PSDD/2021
विशेष सचिव (पशुधन)

1. विशेष सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, नियोजन, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. अपर निदेशक, गोधन विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. अपर निदेशक, कुक्कुट, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. अपर निदेशक, लघु पशु, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9. मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड--2, पशुपालन विभाग, (मण्डलीय जनपद में एन0आई0सी0 कक्ष)
10. संयुक्त निदेशक, ई0पी0डी0, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11. संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
12. सुयुक्त निदेशक, गोशाला, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
13. संयुक्त निदेशक, कुक्कुट रोग निदान, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
14. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पशुपालन विभाग, उ0प्र0 (जनपद में एन0आई0सी0 कक्ष)
15. उप निदेशक, नियोजन, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

8.10.2021 (सुधीर गर्ग) प्रमुख सचिव पशुधन, दुग्ध विकास, मत्स्य, समन्वय तथा प्रशासनिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन

9319/U.S/M/2021 US(V)

बैठक ससमय प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम निदेशक, प्रशासन एवं विकास, तथा निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र महोदय द्वारा मा0 मंत्री जी पशुधन, दुग्ध एवं मत्स्य विभाग, उ0प्र0 सरकार एवं समस्त उपस्थित अधिकारियों (वर्चुअल) का स्वागत करते हुये मा0 मंत्री जी की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ किया गया। तद्क्रम में निदेशक, प्रशासन एवं विकास, निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र तथा अपर निदेशक, गोधन/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद द्वारा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के सापेक्ष प्राप्त प्रगति एवं भावी कार्यवाही के संबन्ध में प्रकाश डाला गया।

11/10/2021 (मंजू लता) विशेष सचिव, पशुधन विभाग, उ० प्र० शासन

2. अग्रेत्तर मा0 मंत्री जी द्वारा वर्तमान सरकार की अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम निराश्रित/बेसहारा गोवंश के संरक्षण पर विस्तार से चर्चा की गयी। निराश्रित/बेसहारा गोवंश से उत्पन्न होने वाली समस्याओं यथा बेसहारा पशुओं से खेतों/रोड पर आने से कृषि तथा जनमानस को नुकसान हो रहा है। इस संबन्ध में प्रदेश के समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में रोड, खेतों में निराश्रित गोवंश विचरण करते न पाए जाए इस हेतु स्थानीय प्रशासन की सहायता से उन्हे प्रत्येक दशा में संरक्षित कराया जाय।

कार्यवाहीः-- समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड--2/जिलाधिकारी

3. बैठक में माननीय मंत्री जी द्वारा संरक्षित गोवंश हेतु हरे एवं सूखे चारे की व्यवस्था/भण्डारण सुनिश्चित कराते हुए भूसे/चारे की कमी से गोवंश की मृत्यु होने पर संबन्धित के विरूद्व जिम्मेदारी निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए गये। उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक गो--आश्रय स्थलों पर संरक्षित गोवंश के रहने हेतु शेड की उपलब्धता, शेड का आंकलन इस प्रकार किया जाय ताकि ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु की गर्मी/जल भराव से बचाव हेतु प्रत्येक शेड/गो--आश्रय परिसर में उन्नत व्यवस्था हो। उक्त के अतिरिक्त गोवंश के पीने हेतु स्वच्छ एवं ताजा पानी की व्यवस्था, गोवंश को पेड़ के नीचे सूखे स्थान पर बैठने/आराम करने की व्यवस्था, गो--आश्रय स्थल पर भूसे की उपलब्धता का आंकलन/सत्यापन

भूसे के भण्डारण की व्यवस्था, वर्षा ऋतु में पानी से भूसे के बचाव हेतु समुचित प्रबन्ध हो के निर्देश दिए गये। गोवंश आश्रय स्थल पर रात्रि में भी चौकीदार/केयरटेकर रखा जाये तथा यथा संभव अधिकारी रात्रि में भी गोशालाओं का औचक निरीक्षण करें। रात्रि में भ्रमण के सामय गोवंश की गिनती करायी जाये ताकि दिन की संख्या से मिलान हो सके। ग्राम पंचायत की जमीन तथा गोचर की जमीन पर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से मनरेगा योजना से कार्य कराना सुनिश्चित करें।

कार्यवाहीः– समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2/जिलाधिकारी

4– अग्रेत्तर माननीय मंत्री जी द्वारा प्रत्येक गो–आश्रय स्थल पर गोवंश हेतु दाने/चोकर/संकेन्द्रित आहार/मिनरल मिक्स्चर की समुचित व्यवस्था भी कराए जाने के निर्देश दिए गये। साथ ही प्रत्येक गो–आश्रय स्थल पर गोवंश की समुचित चिकित्सा व्यवस्था को सुद्दढ़ कराए जाने के निर्देश के साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में प्राकृतिक मृत्यु को छोड़ कर दवा के अभाव में गोवंश की मृत्यु न हो पर विशेष ध्यान दिया जाय। उक्त के अतिरिक्त बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुधन की सुरक्षा हेतु भूसा, औषधि, रोग निरोधक टीके आदि के साथ–साथ बाढ़ चौकियों पर पशुपालन विभाग की सेवाए निरन्तर रखने हेतु भी निर्देशित किया गया।

कार्यवाहीः– समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2

5– प्रदेश में 20वीं पशुगणना के आधार पर जनपदवार निराश्रित गोवंश की संख्या के सापेक्ष कतिपय जनपदों द्वारा शत प्रतिशत अथवा अधिक गोवंश को गो–आश्रय स्थलों में संरक्षित कराया गया है जिसमें सुपुर्दगी में दिए गये गोवंश भी सम्मिलित है। परन्तु जिन जनपदों में कुल निराश्रित गोवंश की संख्या के सापेक्ष 50 प्रतिशत से कम गोवंश संरक्षित हैं उन्हें एक माह के अंदर अपेक्षित संख्या में गोवंश को संरक्षित कराए जाने के निर्देश दिए गये। साथ ही विभिन्न स्थानों/स्थलों पर संरक्षित गोवंश के बधियाकरण, टैगिंग एवं भरण–पोषण की जानकारी प्राप्त करने, अभीलेखिकरण करने तथा सुपुर्दगी हेतु इच्छुक पशुपालकों का चयन किया जाये।

कार्यवाहीः– समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2/जिलाधिकारी

6– बैठक में माननीय मंत्री जी द्वारा जनपदों को भरण–पोषण हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष कम संख्या में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किए जाने को गंभीरता से लेते हुए निर्देशत किया गया कि जनपद स्तर पर स्थानीय प्रशासन से समन्वय करते हुए तत्काल सक्षम स्तर से उपयोगिता प्रमाण पत्र निधारित प्रारूप पर निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

कार्यवाहीः– समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2/जिलाधिकारी

7– मा0 मंत्री जी द्वारा बैठक में भारत सरकार के स्तर पर आयोजित बैठकों का संज्ञान लेते हुए अवगत कराया गया कि भारत सरकार की योजनाओं में टैगिंग एवं ईनाफ पर अपलोड किए जाने की अनिवार्यता पर कम प्रगति पर रोष व्यक्त किया गया एवं निर्देशित किया गया एन0ए0आई0पी0 अंतर्गत प्रत्येक जनपद को उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से 01 कम्प्यूटर आपरेटर तथा भारत सरकार की एन0ए0आई0पी0 अंतर्गत मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों को स्थानीय स्तर पर दो कम्प्यूटर आपरेटरों की सेवाए लिए जाने की व्यवस्था है परन्तु जनपदों द्वारा ईनाफ पर डाटा फीड कराने में कमी अत्यन्त खेदजनक है। इस संबन्ध में निर्देशित किया गया कि राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम अंतर्गत आवंटित लक्ष्य की प्राप्ति एवं ईनाफ पर डाटा अपलोड किए जाने में होने वाली कमी हेतु संबन्धित समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों को सीधे जिम्मेदार माना जायेगा। यह भी निर्देश दिए गये कि प्रदेश के समस्त गोवंश एवं महिषवंश को यू0आई0डी0 टैग लगाते हुए डाटा ईनाफ पर अपलोड

करायी जाय। कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम अंतर्गत जनपदों द्वारा यह ध्यान दिया जाय कि प्रत्येक कृत्रिम गर्भाधान, फालो–अप एवं उत्पन्न संतति की सूचना ईनाफ पर अपलोड की जाय। किसी भी दशा में अन्य स्रोत से प्रेषित की जाने वाली कृत्रिम गर्भाधान की सूचना प्रगति में अंकित न करें जो ईनाफ पर अपलोड न हुई हो। यदि इस प्रकार की प्रगति जिससे संबन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं है या ईनाफ पर सूचना अपलोड नहीं है, के संबन्ध में संबन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें। संपूर्ण प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान निःशुल्क है अतः इस संबन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए पशुपालकों को जागृत किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में कोई पैरावेट्स/मैत्री, कृत्रिम गर्भाधान के सापेक्ष पशुपालकों से शुल्क न लें।

कार्यवाहीः– समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0, पशुधन विकास परिषद।

8– भारत सरकार द्वारा आयोजित गोपाल रत्न पुरस्कार हेतु श्रेणीवार आनलाइन आवेदन अधिक से अधिक संख्या में करवाने, कुक्कुट विकास नीति में जनपदों को आवंटित लक्ष्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

कार्यवाहीः– समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0, पशुधन विकास परिषद।

9– समस्त जनपदों में पशु मेलों का आयोजन कराया जाये तथा पशु मेलों में अधिक से अधिक पशुपालकों को पशुधन के साथ प्रतिभाग करने हेतु व्यापक प्रबन्धन एवं कार्ययोजना विकसित करते हुए प्रतिभाग किए गये पशुपालकों को पशुपालन से संबन्धित विधाओं की जानकारी उपलब्ध करायी जाय तथा उन्नत पशुधन का भी चयन किया जाय।

कार्यवाहीः– समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2/अपर निदेशक–गोधन

9– उक्त के साथ ही साथ समस्त मण्डलीय अपर निदेशक–ग्रेड–2 को प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया करने तथा मण्डल के जनपद/जनपदों में योजनाओं के सापेक्ष भौतिक एवं वित्तीय प्रगति में ह्रास होने पर उत्तरदायी बनाने के भी निर्देश दिए गये।

कार्यवाहीः– समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2/वित्त नियंत्रक, मुख्यालय

10– बैठक में अवगत कराया गया कि एन0ए0डी0आर0एस0, बर्डफ्लू एवं ग्लैण्डर्स रोग संबंधी अद्यतन मासिक सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर अवश्य मुख्यालय को समय से प्रेषित की जायें। प्रक्षेत्रों पर संक्रामक रोग लम्पी स्किन रोग का आगमन बायो सिक्योरिटी को अपनाकर रोका जाये, प्रभावित पशुओं को समुचित उपचार अलग कर करें। प्रदेश में पशुओं में लगाये गये एफ0एम0डी0 टीका का सम्पूर्ण विवरण इनॉफ पोर्टल पर दिनांक 31.10.2021 तक अपलोड कर दिया जाये। वैक्सीन को संरक्षित रखने के लिए विभाग द्वारा कोल्ड चेन की व्यवस्था कर ली गयी है। अधोमानक वैक्सीन का निस्तारण समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अपने–अपने जनपद में कराना सुनिश्चित करें और बीजक मूल रूप में मुख्यालय को भेज दें। अधोमानक वैक्सीन का निस्तारण कराने में यदि कोई समस्या आती है, तो वैक्सीन को मुख्यालय पर भेज दिया जाये।

कार्यवाहीः– समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2/अपर निदेशक–कुक्कुट

11— बैठक में जनपदीय नोडल अधिकारियों को गोशालाओं का निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग से सत्यापन करने हेतु निर्देशित किया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि जनपद में गोवंश संरक्षण से संबन्धित महत्वपूर्ण प्रकरणों में किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर नोडल अधिकारी के विरूद्ध भी प्रशासनिक कार्यवाही संपादित की जायेगी।

कार्यवाहीः— समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी।

12— निदेशक, प्रशासन एवं विकास द्वारा निर्देशित किया गया कि निदेशालय द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को समय से भेजना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

कार्यवाहीः— समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2

13. माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा घोषित विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्रता से पूर्ण कराया जाय।

कार्यवाहीः— समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0, पशुधन विकास परिषद।

चर्चा के मध्य मा0 मंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए की अक्टूबर, 2021 के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा बैठक लखनऊ में आयोजित की जाए।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

ह0/—
(डा0 एस0 के0 मलिक)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास

कार्यालय, निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक—387 (A) बैठक/2021—22 दिनांक— 5 अक्टूबर, 2021

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रत्येक बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए आगामी बैठक से पूर्व अनुपालन आख्या अपर निदेशक—नियोजन, मुख्यालय को उपलब्ध कराएगें।
2. संयुक्त निदेशक, (रोग नियन्त्रण/इपीडी/कुक्कुट/रजिस्ट्रार/गौशाला), मुख्यालय।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक, गोधन विकास, मुख्यालय।
5. वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, (रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र) पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. विशेष सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
8. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
9. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी पशुधन, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ को माननीय के सादर संज्ञानार्थ।

5/10/21

(डा0 हरदेव सिंह)
अपर निदेशक—नियोजन